

अंतिम डिक्री व मुकदमे इत्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर  
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 135/2024

वादी


1. याकूब अली पुत्री सफी
2. अब्दुल मजीद पुत्र सफी
3. जमीर अहमद पुत्र सफी
4. नशीर अहमद पुत्र सफी
5. अकरम अली पुत्र अब्बास अली
6. असलम अली पुत्र अब्बास अली
7. बाना बेगम पत्नि अब्बास अली
8. मोहम्मद फारुख पुत्र हनीफ
9. मुनीर अली पुत्र हनीफ
10. अब्दुल अजीज पुत्र हनीफ
11. लुकमान हखीम पुत्र हनीफ
12. मोहम्मद अमीन पुत्र अहमद
13. मोहम्मद सलीम पुत्र मुस्ताक
14. हशान अली पुत्र मुस्ताक
15. जीवणी बेगम पत्नि मुस्ताक
16. काशम अली पुत्र मुस्ताक
17. अब्दुल रजाक लीलगर पुत्र जहूर मोहम्मद
18. अब्दुल शमद पुत्र जहूर मोहम्मद
19. हशीना बानो पत्नि जहूर मोहम्मद जातियान लीलघर मुसलमान निवासीगण खाटूबड़ी



बनाम

प्रतिवादीगण

1. गीता देवी पत्नि राधेश्याम जाति सोनी निवासी छोटीखाटू तहसील छोटीखाटू
2. आबिद हुसैन पुत्र हनीफ
3. शहाबुदीन पुत्र हनीफ
4. मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्बास अली
5. मोहम्मद अयूब पुत्र मुस्ताक
6. सबीर अहमद पुत्र जहूर मोहम्मद
7. जाकिर हुसैन पुत्र जहूर मोहम्मद
8. जमालुदीन पुत्र जहूर मोहम्मद
9. लाडाबेगम पत्नि रफीक
10. सकील अहमद पुत्र रफीक
11. मोहम्मद शरीफ पुत्र रफीक
12. सिराज अली पुत्र रसीद
13. अब्दुल वहिद पुत्र रसीद
14. बाना बेगम पत्नि रसीद जातियान लीलघर मुसलमान निवासीगण खाटू बड़ी
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

  
सहायक कलक्टर  
(सि.डी.ओ.) जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 1- वादी संख्या 1 से 20 की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा, एडवोकेट
- 2- प्रति. संख्या 1, 2, 3, व 9 से 14 की ओर से श्री शिवप्रकाश सिंवर एडवोकेट
- 3- प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

: : डिक्री आदेश : :

दिनांक- 28.11.24


यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शिवप्रकाश सिंवर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 से 4 क्रमशः याकूब अली 1/4 हिस्सा, अब्दुल मजीद 1/4 हिस्सा, जमीर अहमद 1/4 हिस्सा, नशीर अहमद 1/4 हिस्सा के सह हक बंट कब्जा कश्त में मौजा बड़ी खाटु के खसरा नम्बर 2780/484 रकबा 9.4376 हैक्टेयर में से रकबा 2.7519 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
2. वादीगण संख्या 5 से 7 अकरम अली 1/4 हिस्सा व असलम अली 1/4 हिस्सा पुत्रगण अब्बास अली एवं बाना बेगम पत्नी अब्बास अली 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 मोहम्मद आरिफ 1/4 हिस्सा के सह हक बंट कब्जा कश्त में मौजा खाटू कला के खसरा नम्बर 2780/484 रकबा 9.4376 हैक्टेयर में से रकबा 3.5289 हैक्टेयर पूर्व दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
3. वादीगण संख्या 8 से 11 मोहम्मद फारुख 1/4 हिस्सा, मुनीर अली 1/4 हिस्सा, अब्दुल अजीज 1/4 हिस्सा, लुकमान हखीम 1/4 हिस्सा के सह हक बंट कब्जा कश्त में मौजा खाटू कला के खसरा नम्बर 2780/484 रकबा 9.4376 हैक्टेयर में से रकबा 3.1565 हैक्टेयर पूर्व उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी संख्या 12 मोहम्मद अमीन के सह हक बंट कब्जा कश्त में मौजा कचरास के खसरा नम्बर 360 रकबा 9.8914 हैक्टेयर में से रकबा 2.5090 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
5. वादीगण संख्या 13 से 16 मोहम्मद सलीम 1/5 हिस्सा, हशन अली 1/5 हिस्सा, जीवणी बेगम 1/5 हिस्सा, काशम अली 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 मोहम्मद अयूब उर्फ अयुब अली 1/5 हिस्सा के सह हक बंट कब्जा कश्त में मौजा कचरास के खसरा नम्बर 360 रकबा 7.8914 हैक्टेयर में से रकबा 1.5681 हैक्टेयर मध्य उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
6. वादी संख्या 17 अब्दुल रजाक के सह हक बंट कब्जा कश्त में मौजा कचरास के खसरा नम्बर 360 रकबा 7.8914 हैक्टेयर में से रकबा 0.3399 हैक्टेयर पूर्व उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
7. वादीगण संख्या 17 से 20 अब्दुल रजाक 1/6 हिस्सा, अब्दुल शमद 1/6 हिस्सा, हशीना बानों 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 से 8 सबीर अहमद 1/6 हिस्सा, जाकिस हुसैन 1/6 हिस्सा, जमालूदीन 1/6 हिस्सा के सह हक बंट कब्जा कश्त में मौजा कचरास के खसरा नम्बर 360 रकबा 7.8914 हैक्टेयर में से रकबा 2.3471 हैक्टेयर पूर्व दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलक्टर  
(ए.डी.ओ.) जायल


8. प्रतिवादी संख्या 1 गीता के हक बंट कब्जा कश्त में मौजा कचरास के खसरा नम्बर 360 रकबा 7.8914 हैक्टेयर में से रकबा 1.1273 हैक्टेयर मध्य दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
9. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आबिद हुसैन, शहाबूदीन व 9 से 14 लाडा बेगम, सकील अहमद, मोहम्मद शरीफ, सिराज अली, अब्दुल वहिद एवं बाना बेगम के अलग से भूमि आई होने से मुतदाविया भूमि में कोई भूमि नहीं रखी गई है।
10. उक्त खसरान् में से बैंक के रहन खसरान् का रहन बैंक के यथावत रहेगा।
11. तहसीलदार से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक.....28.11.14 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 सहायक न्यायाधीश (एस.डी.ओ.)  
 जायल- जिला नागौर

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुद्दायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्जर		
फीस कमीष्जर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

  
 सहायक न्यायाधीश (एस.डी.ओ.)  
 जायल- जिला नागौर

